# मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 1680 /08/2009/चयन इन्दौर, दिनांक 13.5.2019

## अतिरिक्त चयन परिणाम

**(एस.एल.पी. क्रमांक – 14007/2016 मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध वीणा चौबे एवं अन्य, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.04.2019 को पारित निर्णय के परिपालन में)**

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/चयन/2009 दिनांक 19.01.2009 एवं शुद्विपत्र क्रमांक 01/01/चयन/2009/19..01.2009/22.01.2009 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के तहत् प्राध्यापक, चित्रकलॉ के कुल 02 पदों के विरूद्व दिनांक 26.09.2011 को अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार आयोजित किये गये थे। अभ्यर्थी डॉ. श्रीमती वीणा चौबे का अध्यापन अनुभव भर्ती नियमों की निर्धारित अर्हता के अनुसार 10 वर्ष पूर्ण नहीं होने के कारण आयोग द्वारा उन्हें पत्र क्रमांक 14033/अ–7/चयन, दिनांक 03.02.2010 के द्वारा साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया था, जिसके विरूद्ध डॉ. वीणा चौबे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में याचिका क्रमांक डबल्यू पी 4369/2011 दायर की गई । याचिका में दिनांक 19.05.2011 को पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में दिनांक 26.09.2011 को आयोजित साक्षात्कार में श्रीमती वीणा चौबे को प्रावधिक रूप से सम्मिलित किया गया था । साक्षात्कार उपरांत चयन परिणाम क्रमांक 668/08/2009/चयन, दिनांक 28.09.2011 के द्वारा ज़ारी किया गया था एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्णय के अध्यधीन श्रीमंती वीणा चौबे का चयन परिणाम रोका गया था।

2/ दिनांक 07.11.2012 को मान. उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता डॉ. श्रीमती चौबे की याचिका खारिज किये जाने के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित कर उनके स्थान पर अनुपूरक सूची में उल्लेखित अल्पना उपाध्याय को मुख्य सूची में चयनित कर तत्संबंध में चयन परिणाम दिनांक 05.01.2013 को घोषित किया गया जिसकी विभाग को अनुशंसा दिनांक 16.01.2013 को पत्र क्रमांक 11755/08/2009/चयन के द्वारा म0प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित की गई। इस प्रकार विज्ञापन में प्रकाशित चित्रकला विषय के प्राध्यापक के दोनों पदों की पूर्ति आयोग द्वारा की जा चुकी है ।

3/ याचिकाकर्ता अभ्यर्थी डॉ. (श्रीमति) वीणा चौबे द्वारा पुनः मान. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, इन्दौर में पुर्नविचार याचिका क्रमांक 03/2013 दायर की गई। उक्त याचिका को मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2015 को निर्णय पारित करते हुए याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 4369/2011 में दायर प्रकरण को पुनर्जीवित करते हुए दिनांक 09.02.2015 को पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। यह प्रकरण दिनांक 20.03.2015 को मान. न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णित किया गया।

4/ राज्य शासन द्वारा डब्ल्यू पी 4369/2011 में पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध डब्ल्यू ए 502/2015 दायर

...2..

की गई, जिसके खारिज किये जाने के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय में राज्य शासन द्वारा एस.एल.पी. क्रमांक 14007/2016 – मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध वीणा चौबे एवं अन्य दायर की गई, जो दिनांक 05.04.2019 को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है । इस प्रकार डब्ल्यू पी क्रमांक 4369/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय अंतिम हो चुका है ।

5/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 4369/2011 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2015 का आपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है –

*"The respondents are directed to issue appointment order in favour of the petitioner as she has been found fit in the process of selection to the post of Professor. It is needless to mention that any other appointment made by the respondents/State is not being set aside by this order and the Person who has also been appointment will not be affected, looking to the fact that large number of posts of Professors are available in State of M.P. as informed by learned Government Advocate. The exercise of granting the benefit as directed above be concluded by the responded positively within a period of 30 days from the date of receipt of certified copy of this order"*

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा आयोग को पत्र क्रमांक 725/1040/2019/38–1, दिनांक 01.05.2019 द्वारा डॉ.श्रीमती वीणा चौबे का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु अवगत कराया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तथा शासन के पत्र दिनांक 01.05.2019 में दिये गये निर्देश के प्रकाश में याचिकाकर्ता अभ्यर्थी डॉ.श्रीमती चौबे का चयन परिणाम दिनांक 28.09.2011 को घोषित चयन परिणाम के परिप्रेक्ष्य में (मेरिट के गुणानुक्रम के आधार पर) अतिरिक्त चयन परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है :–

## <u>मुख्य सूची</u>

| स.क्र. | अनुक्रमांक | लिंग | नाम | श्रेणी | सीट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | F | डॉ. (श्रीमती) वीणा चौबे | अनारक्षित | अनारक्षित (महिला) |

<u>टीप :–</u>

1. उक्त चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर दिनांक 28.09.2011 को घोषित चयन परिणाम में उल्लेखित अभ्यर्थी अनुक्रमांक 07 – डॉ. आलोक भावसार के नाम के ऊपर संस्थित की जाती हैं ।

2. " चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई कम्प्यूटर तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।"

13/5/2019

अ. प.

( रेनु पन्त )
सचिव